रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012020-215231
CG-DL-E-08012020-215231

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह (योधक पैरा मेडिकल पदों) भर्ती नियम, 2011 को जहां तक इनका संबंध उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स) समूह ''ख'' (योधक पैरा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्वति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

4. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. **सीधे भर्ती के लिए शरीरिक मापदंड** – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती मैनुअल, 1975 में यथासंशोधित 19/04/2006 के भाग–चार के अनुसार –

(क)	ऊंचाई	:	पुरूषों के लिए – 170 से.मी. महिलाओं के लिए – 157 से.मी.
(ख)	सीना	:	बिना फुलाए पुरूषों के लिए – 80 से.मी और फुलाने पर – न्यूनतम फुलाव 5 से. मी. महिलाओं के लिए – लागू नहीं
(ग)	भार	:	पुरूषों और महिलाओं के लिए : चिकित्सा मानदंडों के अनुसार उंचाई व आयु के अनुपात में उनका वजन होना चाहिए।
(घ)	दृष्टि	:	दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार के अर्थात् बिना चष्में के न्यनूतम 6/6 तथा 6/9 होनी चाहिए ।

(ड) अभ्यर्थी को सहत जातु, चपटे पैर, फूली हुई नसों या तिर्यक आंख वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें उच्च रंग दृष्यता वाला होना चाहिए और उन्हें मानसिक और शरीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए ।

(च) **शिथिलिकरण** : अनुसूचित जन जातियों तथा पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाइ एवं सीने में निम्नलिखित प्रकार से छूट देय होगी :–

(i) **ऊंचाई** : गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उंचाई 165 सेमी. होगी ।

महिला के लिए न्यूनतम उंचाई 155 सेमी होगी तथा अनुसूचित जन जाति के पुरूष के लिए न्यूनतम उंचाई 162.5 सेमी. तथा महिलाओं के लिए 150 से. मी. होगी ।

(ii) **सीना** : अनुसूचित जन जातियों और पहाड़ के लोगों के लिए सीने में षिथिलता लागू होगी। कार्मिकों के इस प्रवर्ग के लिए न्यूनतम सीना निम्नानुसार होगी :–

(क) उपरोक्त पैरा में विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरूष

: 78– 83 से.मी.

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों लिए : 76–81 सेमी

8. **शारीरिक दक्षता परीक्षण** –

(क) दौड़

(i) पुरूषों के लिए : 7.5 मिनट में 1 मील

(ii) महिलाओं के लिए : 6 मिनट में 800 मीटर

(ख) लम्बी कूद

(i) पुरूषों के लिए : 10 फीट

(ii) महिलाओं के लिए : 6 फीट

(ग) ऊंची कूद

(i) पुरूषों के लिए : 3 फीट

(ii) महिलाओं के लिए : 2.5 फीट

9. **प्रोन्नति के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता**.– इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी ग्रेड या रैंक या पद में एक पद से दूसरे पद में योधक स्टॉफ की प्रोन्नति के लिए कार्मिक की चिकित्सीय श्रेणी सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल शेप–1 के अनुरूप होना होगा ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैटिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स)	472 *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –06 (रु. 35400–112400)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा
(6)
30 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेषों या आदेषों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष की छूट देय है) **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : – भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अहर्ताए : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण ; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग एंड	लागू नहीं होता	02 वर्ष	5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ; 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

मिडवाइफ का 3½ वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ; और (iii) केंद्रीय नर्सिंग परिषद् या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स एंड मिड–वाईफ के तौर पर पंजीकृत हो ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500–81,100 रु.) में ऐसे हवलदार (नर्स या सहायक नर्स मिड–वाईफरी) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तो स्तम्भ (7) में विहित सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता रखते हों । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
12	13
1 विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ; **2 विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के लिए विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–** (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ;	लागू नहीं होता ।

[सं. आर. II–1 / 2019–चिकित्सा–1–केरिपुबल / गृह मंत्रालय(कार्मिक–II)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक–II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2020

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 2011 in so far as they relate to the post of Sub Inspector (Staff Nurse), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub - Inspector (Staff Nurse) in the, Central Reserve Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Sub Inspector (Staff Nurse) Group 'B' (Combatised Para-Medical Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix-**The number of post, its classification, level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.–**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-**No person**,-**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of person.

6. **Saving-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7**. Physical standard for direct recruitment.-**As per Part IV of Recruitment Manual, Central Reserve Police Force, 1975 as corrected up to 19-04-2006

(a) Height	:	For Male - 170 cms.
	:	For Female – 157cms.
(b) Chest	:	For Male : Unexpanded – 80cms
		Expanded –Minimum expansion 5cms.
		For Female – Not applicable.

(c) Weight : For Male and Female : Proportionate to height and age as per medical standards.

(d) Eye Sight : The minimum distance vision should be 6/6 and 6/9 of 2 eyes without correction i.e. without wearing of glasses.

(e) The candidate shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they shall possess high colour vision. They shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(f) **Relaxation** : Relaxation shall be permissible in height and chest to the Scheduled Tribes and hill peoples as follows:

(i) **Height** : Minimum height of candidates failing the categories of of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhs, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh shall be 165 cms. for men .

For females the minimum height shall be 155 cms. The minimum height for Scheduled Tribes shall be 162.5cms. for male and 150cms. for Female .

(ii) **Chest** : Relaxation in chest is applicable to the Scheduled Tribes and hill people. The minimum chest for this category of personnel is as under :-

(a) Men belonging to hill areas specified in above para: 78-83 cms.

(b) Scheduled Tribes of all States/ Union Territories : 76-81cms.

8. **Physical Efficiency Test.-**

(a) Race

(i) For Male : 1 mile in 7.5 minutes.

(ii) For Female : 800 mtrs. In 6 minutes.

(b) Long Jump

(i) For Male : 10 feet (ii) For Female : 6 feet

(c) High Jump

(i) For Male : 3 feet (ii) For Female : 2.5 feet.

9. **Medical fitness for promotion**.- For combatised staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the Schedule, individual shall be required to confirm to medical category shape-I as prescribed by the Government.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay Matrix.**	**Whether selection post or non selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Sub-Inspector (Staff Nurse)	472* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Non- Gazetted Group 'B'.	Level - 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400/-.	Selection post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 Years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Union territories of Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Qualification :** Essential : (i) 12th class pass from a recognised Board; and (ii) passed the three and half years course in diploma in General Nursing and Midwifery from a recognised Board or council; (iii) registered as a nurse or nurse and mid-wife with Central Nursing Council or State Nursing Council .	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
5 per cent by promotion failing which by direct recruitment; 95 per cent by direct recruitment.	**Promotion ;** Head Constable (Nurse or Auxiliary Nurse Mid-wifery) in level 4 in the pay matrix Rs. 25,500-81,100/- with ten years regular service in the grade and having educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors

	who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
1. Department Promotion committee (for considering promotion) consisting of :- (1) IG/Director (Medical) Central Reserve Police Force - Chairman. (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force – Member. (3) Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force - Member. (4) Matron, Central Reserve Police Force - Member. **2. Department Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) IG/Director (Medical) Central Reserve Police Force –Chairman. (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force –Member. (3) Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force –Member . (4) Matron, Central Reserve Police Force –Member.	Not applicable.

[No. R.II. 1/2019. Med. I CRPF/MHA/ Pers-II]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.08 23:18:52 +05'30'